POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2018/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2018 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! प्रदेश के शहर ही नहीं गांवों की डगर-डगर तक लोग चुनावी रंग में सराबोर हैं। चुनाव में खड़े विभिन्न दलों के प्रत्याशी लोगों से व्यक्तिशः संपर्क में व्यस्त हैं।

मीडिया की नजर गांवों की चौपालों व चाय-पानी की दुकानों तक लगी हैं। क्योंकि, यहां पर सबसे ज्यादा चुनावी चर्चाएं चलती है। यहां लोग बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार अथवा पेट्रोल- डीजल के दामों से बढ़ती महंगाई, जातिवाद हो या प्रत्याशियों द्वारा की जा रही घोषणाओं के पुलिन्दों पर अपने-अपने तर्क और बातें करते देखे जा सकते हैं।

कभी-कभी चर्चाएं बहस में तब्दील हो जाती हैं तो रोचकता और बढ़ जाती है। यहां पर गांव की बुनियादी जरूरतों, ग्रामीण विकास और खेत-खलियानों से लेकर किसानों तक के लिए वर्तमान व पिछली सरकारों की बखिया उधड़नी शुरू होती है तो फिर नेताओं द्वारा राजनीतिक दलों के बदलने के सिलसिले पर चर्चा आदि समाप्त होने का नाम नहीं लेती। मीडिया प्रतिनिधियों को खबरों का सही मसाला यहीं से मिलता है।

कभी-कभी प्रत्याशियों के भेदिये भी इन चर्चाओं में शामिल हो जाते हैं और चुनावी गणित का अंदाजा लगाने के प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा अभी तक अपने-अपने पत्ते नहीं खोलना आश्चर्यजनक है। क्योंकि, ग्रामीण यह जानकर बड़ी चालाकी से चर्चा को आपसी मनोरंजन पर ले आते हैं और मतगणना के बाद चुनावी नतीजों तक इंतजार करने पर जोर देने लगते हैं।

सामुदायिक साझेदारी से सतत् विकास संभव

सामुदायिक साझेदारी को अगर दैनिक जीवन में उतारा जाए तो यह सतत् एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उक्त विचार जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खण्डेलवाल ने 'कट्स' द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में रखे।

उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में साझा करने की परम्परा शुरु से ही रही है, अगर हम इसे अपना लेते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा, साथ ही साथ जन समुदाय में साझेदारी की भावना जागृत होगी।

परिचर्चा का आयोजन 'कट्स' द्वारा संचालित परियोजना 'ग्रीन एक्शन वीक-2018' के इस वर्ष के विषय 'शेयरिंग कम्यूनिटी' के तहत किया गया। परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि साझेदारी की भावना हमारे पूर्वजों में थी, धीर-धीरे हम इसे खोते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम समाज में साझेदारी की भावना को जागृत कर सकते हैं।

'कट्स' की कार्यक्रम अधिकारी निमिषा शर्मा ने बताया कि ग्रीन एक्शन वीक-2018 के दौरान जयपुर शहर में रामनगर व मीनावाला में 50 परिवारों के साथ काम करके उनके घरों पर किचन गार्डन बनवाए गए तथा उन परिवारों में से 10 के यहां कम्पोस्ट यूनिट लगवाकर रसोई से निकलने वाले कचरे से खाद बनवाई।

परिचर्चा में विकास सीतारामजी भाले, कृषि आयुक्त, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सोमना दत्ता ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में 'कट्स' द्वारा प्रकाशित भारत में उपभोग संस्कृति एवं जीवन शैली से सम्बन्धित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ता संस्थाओं, मीडिया प्रतिनिधियों तथा किसानों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

तीन तलाक पर पति को हो सकती है तीन साल तक की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने भी ठहराया था गैर कानूनी

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया था। इसके बावजूद तीन तलाक के मामले सामने आते रहे। जनवरी, 2017 से 13 सितंबर, 2018 तक देश में 430 मामले दर्ज किए गए।

मोदी सरकार ने मुस्लिमों में एक साथ तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश को पास कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने भी इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह अध्यादेश जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया है।

इसके तहत तलाक-ए-बिद्दत यानी एक साथ तीन तलाक अमान्य और गैर कानूनी हो गया है। मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाक भी गैर कानूनी है। ऐसा करने पर पति को तीन साल की जेल तथा जुर्माना हो सकता है। पुराने मामले इस दायरे में नहीं आएंगे।

अध्यादेश के अनुसार अगर महिला खुद या उसका कोई नजदीकी रिस्तेदार पुलिस में शिकायत करेगा, तभी पुलिस पति को गिरफ्तार कर सकेगी। पीड़िता अपने और नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए भत्ता भी मांग सकती है। उसे नाबालिग बच्चों को अपने साथ रखने (कस्टडी मांगने) का हक भी है। ऐसे मामलों में समझौता होने की भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन पत्नी चाहे तभी। मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष सुनने के बाद ही पति को जमानत दे सकता है।

ऐक्सिस बैंक को भारी पड़ा लोन के दस्तावेज नहीं लौटाना

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में राजेश गुप्ता ने ऐक्सिस बैंक लिमिटेड की फरीदाबाद शाखा के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में आयोग को बताया गया कि उन्होंने एक्सिस बैंक के पास बिल्डर से किया गया समझौता, रसीद और संपत्ति का मूल आवंटन पत्र रख कर 67 लाख रुपए से अधिक का कर्ज लिया था। उन्होंने बैंक को लिया गया सम्पूर्ण कर्ज मय ब्याज के चुका दिया, बावजूद बैंक द्वारा रखे गए दस्तावेज उन्हें वापस नहीं लौटाए गए।

मामले की सुनवाई पर बैंक ने दावा किया कि कुछ दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें लौटा दिया गया है। शेष कुछ दस्तावेज खो गए हैं और बैंक उन कागजातों को लौटाने में सक्षम नहीं है। उपभोक्ता आयोग ने इसे ग्राहक के प्रति दायित्वों को निभाने में विफलता एवं गंभीर सेवा दोष माना।

उपभोक्ता आयोग ने एक्सिस बैंक को आदेश दिया कि वह राजेश गुप्ता को 50 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति, मानसिक उत्पीड़न के बदले 50 हजार रुपए और मुकदमे खर्च के 15 हजार रुपए का भुगतान करे। आयोग ने बैंक से यह भी कहा कि वह सभी दस्तावेजों के संबध में गुप्ता के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड जारी करे। इस राशि का भुगतान चार सप्ताह के भीतर किया जाए। ऐसा करने में विफल रहने पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

प्रदेश में सात दिसंबर को पड़ेंगे वोट

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों (राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं मिजोरम) के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है।अब इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है।

राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए सात दिसंबर को मतदान होगा। 12 नवंबर से 19 नवंबर तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। 20 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 22 नवंबर तक नाम वापसी और सात दिसंबर को मतदान होगा।

मतगणना 11 दिसंबर को होगी। इसके बाद ही सामने आएगा कि प्रदेश में कौनसा दल सरकार बनाएगा। खासतौर पर नेताओं को जनता की याद चुनावों में ही आती है और अब वे मतदाताओं से सम्पर्क में लगे हैं।

ग्रामीण परिवार नहीं कर पाते बचत

देश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले दस फीसदी से भी कम परिवारों के पास निवेश लायक बचत हो पाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए यह आंकड़ा नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे 2016-17 में सामने आया है। नाबार्ड के इस सर्वे के मुताबिक ज्यादातर ग्रामीणों ने भौतिक संपत्तियों में ही निवेश किया है।

सर्वे के मुताबिक गांवों में 90 फीसदी परिवारों का बैंक में खाता तो है, लेकिन उसमें बचत करने वाले परिवारों का हिस्सा बहुत कम है। केवल 2.3 फीसदी परिवारों ने ही सावधि या लंबी अवधि का निवेश किया है।

समग्र विकास की नहीं बनी योजना

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना की प्लानिंग नहीं होने के कारण समग्र ग्राम विकास का पैसा खर्च नहीं हो पाया है। योजना के तहत पांच साल में (2012 से 2017) 21.81 फीसदी पैसा ही खर्च हो सका है।

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मगरा क्षेत्रीय विकास योजना का उद्देश्य पांच जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद की 14 पंचायत समितियों में सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत विकास करना था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियों के चलते उपलब्ध 202.34 करोड़ की निधियों में से केवल 21.81 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 90.29 करोड़ रुपए बिना खर्च शेष रहा।

बढ़ गई रिश्वत देने वालों की संख्या

देश में घूस देकर काम कराने वालों की संख्या पिछले एक वर्ष में 11 प्रतिशत बढ़ गई है। इस साल 56 फीसदी लोगों ने माना कि उन्होंने अपना काम कराने के बदले रिश्वत दी। जबकि पिछले साल ऐसा 45 फीसदी लोगों ने ही माना था।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और लोकल सर्कल्स की ओर से आयोजित सर्वे में यह इसका खुलासा किया गया है। नए कानून के अनुसार रिश्वत देने पर कारावास की सजा और जुर्माने के प्रावधान का भी लोगों में डर नहीं है। सर्वे में 23 फीसदी लोग मानते हैं कि यह कानून प्रभावहीन होगा।

बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से है परेशानी

देश के लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ज्यादा परेशान करते हैं। यह जानकारी इप्सोस संस्था द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सामने आई है। सर्वे के अनुसार 44 फीसदी भारतीय इससे सबसे ज्यादा परेशान हैं।

सर्वेक्षण के मुताबिक अपराध व हिंसा से 33 प्रतिशत लोग परेशान हैं। गरीबी और सामाजिक असमानता को 31 फीसदी भारतीय प्रमुख मुद्दा मानते हैं। इसी तरह आतंकवाद को भी 21 फीसदी लोगों ने परेशानी का विषय माना है। इस्पोस का यह सर्वेक्षण एक मासिक सर्वेक्षण है । इसे 28 देशों में किया जाता है।

दागियों का अखबार में प्रचार करें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ रोकने के लिए संसद को ही कानून बनाना चाहिए। अपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के संसद व विधानसभाओं में पहुंचने के कारण लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है। इसे रोकने के लिए संसद को जरूर दखल देना चाहिए।

हालांकि शीर्ष अदालत ने उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अदालत में लंबित अपराधिक मामलों का शपथ पत्र में मोटे अक्षरों में उल्लेख करें। स्थानीय मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक) में इसका कम से कम तीन बार प्रचार किया जाए।

राजनीतिक दल अपनी वेबसाइटों पर भी उम्मीदवारों के अपराधिक मामलों का उल्लेख करें। उल्लेखनीय है चुनाव सुधार का यह मामला 2013 में विधि आयोग के हवाले किया गया था। आयोग ने अपने सुझाव भी सौंप दिए थे, लेकिन सरकार कुंडली मारे बैठी है।

'आधार' पर ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से आधार को संवैधानिक मानते हुए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे आवश्यक माना है। शीर्ष कोर्ट ने आधार को जायज, मगर इसे हर जगह थोपने को वाजिब नहीं माना।

आधार को पैन कार्ड से जोड़ने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, सरकार की समाज कल्याण योजनाओं का लाभ व रियायत लेने के लिए जरूरी माना गया है। जबकि बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, स्कूल में नामांकन के लिए आधार जरूरी नहीं है। साथ ही बच्चों के लिए लाभकारी योजनाओं के लाभ लेने व सीबीएसई, यूजीसी व नीट परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं है।

चुनाव में कालेधन को नहीं रोक सकते

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओ.पी.रावत ने माना है कि मौजूदा कानून चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल को रोकने में काफी नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त धनबल का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए बड़ी परेशानी है और फिलहाल इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने वाले तरीके भी देश में मौजूद नहीं हैं। रावत ने कहा कि चुनाव में धन का दुरुपयोग भारत और भारतीय चुनावों के लिए मुख्य चिंता का विषय है। वहीं, उन्होंने फर्जी खबरों को फैलानेवाले लोगों को चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरा बताया।

चुनावी घोषणा-पत्र

चुनाव के ऐन मौके पर राजनीतिक दल अपने घोषणा-पत्र जारी करते हैं। इनमें जनता से उनकी भलाई और प्रदेश के विकास के बढ़-चढ़ कर वादे किए जाते हैं। सत्ता मिलने के बाद संबंधित राजनीतिक दल को अपने घोषणा-पत्र के वादों को पूरा करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

घोषणाओं की प्राथमिकताएं तय करने के लिए जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए जा सकते हैं। सुशासन की दृष्टि से क्षेत्रवार स्थानीय लोगों से उनकी जरूरतों और समस्याओं के बारे में जानकारी लेना और उनका समयबद्ध रूप से समाधान आवश्यक है। इससे जनता के हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साबित हो सकेगी। -पंकज भारद्वाज, जोधपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर